

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-8 (लेखा)
संख्या-ए-159 /सात-न्याय-8-19-24/28/91 टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2019

विज्ञप्ति


न्याय अनुभाग-8 (लेखा) की विज्ञप्ति संख्या-ए-114/सात-न्याय-8-19-24/28/91 टी0सी0 दिनांक 01 अगस्त, 2019 एवं तद्विषयक विज्ञप्ति/शुद्धि-पत्र संख्या-ए- 139 /सात-न्याय-8-19-24/28/91 टी0सी0, दिनांक 03 अगस्त, 2019 में अपरिहार्य स्थिति के दृष्टिगत आवेदन-पत्र स्वीकार किये जाने की तिथि को दिनांक 05-09-2019 सायंकाल 5-00बजे तक बढ़ाया जा रहा है। विज्ञप्ति में निहित शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगी।

दिनेश कुमार सिंह-1।
सदस्य(सचिव/संयोजक)सर्च कमेटी
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
30प्र0 शासन।

संख्या-ए- 115 /सात-न्याय-8-19-24/28/91 टी0सी0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, 30प्र0 शासन।
- 2-महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।
- 3-निजी सचिव, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, 30प्र0 शासन।
- 5-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, 30प्र0 शासन।
- 6-निबन्धक, 30प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि वे इस विज्ञप्ति को राज्य लोक सेवा अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार शुक्ला)
विशेष सचिव।